



प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार
 यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गोहड़
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गोहड़ का तला

-:आदेश:-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोहड़ का तला व भूअ.नि.
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सेड़वा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील सेड़वा व जिला बाजौर
 की नमायन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि के
 अशुद्ध रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01.	गोहड़ का तला	320	रा० गा० पा० सिलका पाड़ा	रा० प्रा० वि० सिलका पाड़ा
02.	गोहड़ का तला	319	रा० उ० प्रा० वि० गोहड़ का तला	रा० आ० उ० मा० वि० गोहड़ का तला
03.	सैयद भोज डाली का तला	250	रा० गा० पा० मेधाणी कागावात	रा० उ० प्रा० वि० मेधाणी कागावात
04.	सैयद भोज डाली का तला	104	रा० गा० पा० दाऊ का तला	रा० प्रा० वि० दाऊ का तला
05.	सैयद भोज डाली का तला	106	रा० गा० पा० गुठोशा सुधार का पाड़ा	रा० प्रा० वि० गुठोशा सुधार का पाड़ा



(सैयद)
 उपखण्ड अधिकारी
 जो सेड़वा
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर,

दिनांक :-

रजनांक :-

प्रतिलिपि :-

- 1 तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 पार्थी श्री को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 लोक सेड़वा
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर.